न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 21/2024

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. शादी खान पुत्र भुंगरखान जाति मुसलमान निवासी मु.पो. लालासनर पो. खानियाली तह. गडरारोड़ जिला बाडमेर (मैसर्स मदिना किराणा एण्ड जनरल स्टोर, शिव चौराहा गडरा रोड़, जिला बाडमेर का विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सुनील मेराजा, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म **मैसर्स मदिना किराणा एण्ड जनरल स्टोर, शिव चौराहा गडरा रोड़, जिला बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.11.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **सोयाबीन तेल** जो कि लगभग 10 किलोग्राम एल्यूमिनियम की कोठी में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 350 एमएल के कुल चार पैकेट **सोयाबीन तेल** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2399** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **सोयाबीन तेल** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (मुहर)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पदार्थ **सोयाबीन तेल** का नमूना **Contravenes Regulation** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि शादी खान ने आर.बी.प्रोडेक्ट बाडमेर से सागर सोया ऑयल के पांच डिब्बे खरीद किए थे, जिसमें एक डिब्बा ट्रांसफर द्वारा परिवहन के दौरान लिकेज हो गया था, जिसका तेल दुसरे डिब्बे में खाली किया हुआ था, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेंपल भरा गया। उक्त तेल सिर्फ खुला रखने की वजह से प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जबकि उक्त तेल सही है। विप्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। अतः विप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को खारिज फरमाई जावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.01.2024** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि शादी खान ने आर.बी.प्रोडेक्ट बाडमेर से सागर सोया ऑयल के पांच डिब्बे खरीद किए थे, जिसमें एक डिब्बा ट्रांसफर द्वारा परिवहन के दौरान लिकेज हो गया था, जिसका तेल दुसरे डिब्बे में खाली किया हुआ था, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेंपल भरा गया। उक्त तेल सिर्फ खुला रखने की वजह से प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जबकि उक्त तेल सही है। विप्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। अतः विप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को खारिज फरमाई जावें। इस प्रकार लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने का **Contravenes Regulation** पाये जाने के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा

Kvp.

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 6,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर